र व ता
काम जो
की पाल
जारी हु

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी
बइजलास – यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 05/2018

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. गिरधारीराम पुत्र राजुराम जति विश्नोई निवासी ग्राम उद्ववनगर तहसील फलोदी
2. खेता पुत्र भीखा जाति विश्नोई निवासी ग्राम उद्ववनगर तहसील फलोदी जिला जोधपुर

बनाम

1. कानाराम पुत्र राजुराम जाति विश्नोई
2. शैतानाराम पुत्र राजुराम जाति विश्नोई
3. पांचाराम पुत्र राजुराम जाति विश्नोई
4. सुरजाराम पुत्र राजुराम जाति विश्नोई
5. ओमप्रकाश पुत्र राजुराम जाति विश्नोई
6. जोधा पुत्र थाना जाति विश्नोई
7. बाबु पुत्र थाना जाति विश्नोई सर्व निवासीयान ग्राम उद्ववनगर तहसील फलौदी जिला जोधपुर
8. शाखा प्रबन्धक,यूको बैंक शाखा फलोदी
9. तहसीलदार फलौदी

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–
श्री राधेश्याम चाण्डा अधिवक्ता वादी
श्री दिपक गौड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 5

निर्णय

दिनांक :–03.01.2020

वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार फलौदी को विभाजन प्रस्तुत करने के लिए तहरीर जारी की गयी जिसकी पालना में तहसीलदार फलौदी ने विभाजन प्रस्ताव पेश किया अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी ने विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने पर सहमती प्रदान की। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया बाद अवलोकन वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है अतः वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है ग्राम उद्ववनगर पटवार हल्का पड़ियाल तहसील फलोदी स्थित खेत खसरा नं. 317 रकबा 122 बीघा किस्म बारानी –3 भूमि में वादीगण 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण 01 से 5 को खसरा नं. 317 रकबा 122 बीघा में से रकबा 61 बीघा भूमि रखी जाना तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को खसरा 317 रकबा 122 बीघा में से रकबा 61 बीघा भूमि माफिक विभाजन प्रस्ताव में नजरी नक्शा अनुसार रखी जाती है। तहसीलदार फलौदी को आदेश दिया जाता है की माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। माफिक आदेश अंतिम डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा) (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) फलौदी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) फलौदी

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक फलौदी जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत श्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी

बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गिरधारीराम पुत्र राजुराम जति विश्नोई निवासी ग्राम उद्ववनगर तहसील फलोदी 2. खेता पुत्र भीखा जाति विश्नोई निवासी ग्राम उद्ववनगर तहसील फलोदी जिला जोधपुर		1. कानाराम पुत्र राजुराम जाति–विश्नोई 2. शैतानाराम पुत्र राजुराम जाति विश्नोई 3. पांचाराम पुत्र राजुराम जाति विश्नोई 4. सुरजाराम पुत्र राजुराम जाति विश्नोई 5. ओमप्रकाश पुत्र राजुराम जाति विश्नोई 6. जोधा पुत्र थाना जाति विश्नोई 7. बाबु पुत्र थाना जाति विश्नोई सर्व निवासीयान ग्राम उद्ववनगर तहसील फलौदी जिला जोधपुर 8. शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक शाखा फलोदी 9. तहसीलदार फलौदी

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, राज. काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 05/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर श्री राधेश्याम चाण्डा अधिवक्ता मिनजानिव व श्री दिपक गौड मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है ग्राम उद्ववनगर पटवार हल्का पड़ियाल तहसील फलोदी स्थित खेत खसरा नं. 317 रकबा 122 बीघा किस्म बारानी –3 भूमि में वादीगण 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण 01 से 5 को खसरा नं. 317 रकबा 122 बीघा में से रकबा 61 बीघा भूमि रखी जाना तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को खसरा 317 रकबा 122 बीघा में से रकबा 61 बीघा भूमि माफिक विभाजन प्रस्ताव में नजरी नक्शा अनुसार रखी जाती है। तहसीलदार फलौदी को आदेश दिया जाता है की माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। मुतालिक

बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।
वसूली याबी तक बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 01 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा

मोहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावें।

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
04.05.2018	आज दिनांक 04.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र पडीयाल में आयोजित शिविर में न्यायालय हाजा में विचाराधिन प्रकरण संख्या 114/2017 अनवान गिरधारी राम वगैरा बनाम कानाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 53 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत पत्रावली पेश हुई। वादीं. अधिवक्ता एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी सहमती प्रदान कर निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में सभी पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में बंटवाड़ा करवाया जावे, पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि ग्राम उद्धवनगर पटवार हल्का पडियाल तहसील फलोदी स्थित खेत खसरा नम्बर 317 रकबा 122 बीघा किस्म बारानी–3 व खसरा नम्बर 310 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा की भूमि में वादी संख्या 1 अपने व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की भूमि में 1/4 हिस्सा का व वादी संख्या 2 अपने 1/4 हिस्सा की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की दर्ज है वादीगण अपने संयुक्त हिस्सेदारी की भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन करवाना चाहता है इसलिए राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 के तहत वाद वादी प्राथमिक डिकी योग्य पाया जाता है। **आदेश** वादी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिकी किया जाता है ग्राम उद्धवनगर पटवार हल्का पडियाल तहसील फलोदी स्थित खेत खसरा नम्बर 317 रकबा 122 बीघा किस्म बारानी–3 व खसरा नम्बर 310 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा की भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा हिस्सा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवाड़ा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में स्वीकार किया जाता है। रहन की प्रविष्टी यथावत रहेगी तहसीलदार फलोदी को आदेश दिया जाता है कि बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में बंटवाड़ा प्रस्ताव दो प्रतियों में अलग अलग कलर दर्शाते हुए पक्षकारान के कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए आगामी तारीख पेशी तक पेश करें डिकी पर्चा अलग से जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 के तहत आयोजित कैम्प अटल सेवा केन्द्र पडीयाल में मजमे आम में सुनाया गया। (अनिल कुमार RAS) सहायक कलक्टर/ उपखण्ड अधिकारी फलोदी राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 कैम्प पडियाल सहायक कलक्टर/ उपखण्ड अधिकारी फलोदी राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प पडियाल 4/5/18	

4/5/2018

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.01.28 11:09:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: